!! श्री !!

माननीय न्यायालय राजस्व मंडल महोदय, मध्यप्रदेश ग्वालियर केम्प, उज्जैन

प्रकरण क्रमांक : /2014–15 निगरानी निगरानी/1292-II-15

1. बालूसिंह पिता तोलाराम आंजना
2. अम्बाराम पिता तोलाराम आंजना
3. मायाराम पिता तोलाराम आंजना

निवासीगण–ग्राम उमरिया, तहसील नागदा, जिला उज्जैन ....**प्रार्थीगण**

प्रार्थी अभिभाषक श्री [illegible]
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक [illegible]
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

विरुद्ध

श्रीमती सीमाबाई पति बहादूरसिंह आंजना, निवासी–ग्राम उमरिया, तहसील नागदा, जिला उज्जैन ....**प्रतिप्रार्थी**

विषय :– निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, नागदा, जिला उज्जैन के द्वारा प्रकरण क्र. 3/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 27.03.2015 के विरुद्ध।

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण की और से निम्नलिखित निगरानी अवधि में प्रस्तुत है :–

निगरानी के आधार

01. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय के द्वारा पारित निगरानीग्रस्त आदेश विधि विधान के विपरीत होकर निरस्त किए जाने योग्य है।

02. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय द्वारा प्रतिप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अवधि में मान्य करने में गंभीर वैधानिक एवं घटनात्मक त्रुटि की है।

03. यह कि, माननीय अधीनस्थ योग्य न्यायालय द्वारा प्रतिप्रार्थी की ओर से अवधि के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत करते हुए भी अपील अवधि में मान्य करने में गंभीर वैधानिक एवं घटनात्मक त्रुटि की है।

......2

R 1292-II/13

23.7.15	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। पूर्व पेशी पर आवेदक की ओर से उनके अभिभावक उपस्थित थे और पेशी दिनांक 23.7.15 नोट की गई थी अतः आवेदक के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	